



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276591
CG-DL-E-29092026-276591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4939]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4939]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2026

का.आ. 5145(अ).— भारत सरकार, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 9 जुलाई, 2024 को प्रकाशित भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग की दिनांक 5 जुलाई 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2662 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में:

(क) “धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन मनोनीत सदस्य” शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 3 और 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती है, अर्थात्:-

धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अंतर्गत मनोनीत सदस्य		
क्र. सं.	सदस्यों का नाम और पता	पदनाम
" 3.	डॉ. प्रेम सिंह महानिदेशक, पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार।	सदस्य

4.	डॉ. निखिल कुमार शित निदेशक, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा, पशु संसाधन विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार।	सदस्य",
----	--	---------

(ख) "धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के तहत नामित सदस्य" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती हैं, अर्थात्:

धारा (3) की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत नामित सदस्य		
क्रम सं.	सदस्यों का नाम और पता	पदनाम
"10.	डॉ. राघवेन्द्र भट्टा उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।	सदस्य",

(ग) "धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामित सदस्य" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती हैं, अर्थात्:-

धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नामित सदस्य		
क्र.सं.	सदस्य का नाम और पता	पदनाम
"11.	डॉ. नवीना बी. महेश्वरप्पा पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली।	पदेन सदस्य",

(घ) "धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अधीन मनोनीत सदस्य" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती हैं, अर्थात्:-

धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अंतर्गत मनोनीत सदस्य		
क्र.सं.	सदस्य का नाम और पता	पदनाम
"13.	डॉ. पी.वी. लक्ष्मैया, अध्यक्ष, राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, आंध्र प्रदेश।	सदस्य".

[फा. सं. के-12052-7/1/2019-एलएच-(ई-14350)]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

नोट.- मूल अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई, 2024 के का.आ. 2662 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और पिछली बार इसमें दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के का.आ. 4657 (अ) के जरिए संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry And Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2026

S.O. 5145(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (3) and (6) of section 3 read with sub-section (2) of section 5 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry, *vide* number S.O. 2662 (E), dated the 5th July, 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th July, 2024, namely:-

In the said notification, -

(a) under the heading “Members nominated under clause (a) of sub-section (3) of section 3”, for serial numbers 3 and 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely: -

Members nominated under clause (a) of sub-section (3) of section 3		
S. No.	Name and address of Member	Designation
"3.	Dr. Prem Singh Director General, Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of Haryana.	Member
4.	Dr. Nikhil Kumar Shit Director, Animal Husbandry and Veterinary Services, Department of Animal Resources Development, Government of West Bengal.	Member",

(b) under the heading “Member nominated by under clause (c) of sub-section (3) of section 3”, for serial number 10 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

Members nominated under clause (c) of sub-section (3) of section 3		
S. No.	Name and address of Member	Designation
"10.	Dr. Raghavendra Bhatta Deputy Director General (Animal Sciences), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.	Member",

(c) under the heading “Member nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3”, for serial number 11 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

Members nominated under clause (d) of sub-section (3) of section 3		
S. No.	Name and address of Member	Designation
"11.	Dr. Naveena. B.Maheswarappa Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, New Delhi.	<i>Ex-officio</i> Member",

(d) under the heading “Member nominated under clause (h) of sub-section (3) of section 3”, for serial number 13 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

Members nominated under clause (h) of sub-section (3) of section 3		
S. No.	Name and address of Member	Designation
"13.	Dr. P.V. Lakshmaiah, President, State Veterinary Council, Andhra Pradesh.	Member".

[F. No. K-12052-7/1/2019-LH-(E-14350)]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2662 (E), dated the 5th July, 2024 and last amended *vide* number S.O. 4657 (E), dated the 13th October, 2025.